संख्या-11 /2019/543/77-3-2019-19बजट/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में रू. 30,77,04,658.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5924/यूपीडा/14/लेखा/वित्त नि0, दिनांक 08.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-16-यूपीडा द्वारा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 113.63 करोड में से शासनादेश संख्या-3/2019/73-77-3-19-19बजट/18, दिनांक 30.01.2019 द्वारा रू0 78,62,68,290.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है। अवशेष धनराशि रू0 35,00,31,710.00 में से जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि रू0 30,77,04,658.00 (रूपये तीस करोड सतहत्तर लाख चार हजार छ: सौ अठ्ठावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-2-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-7 लेखा शीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-16-यूपीडा द्वारा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11 /2019/ 543(1)/77-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।